

दिनांक 31.07.2023

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। परिवादी मय विद्वान अधिवक्ता श्री दिगपाल सिंह नेगी उपस्थित। परिवादी के ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। मिसल समलित हो। अभियुक्त अनुपस्थित। अभियुक्त के ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री महेश बलूनी द्वारा हाजरी माफी प्रार्थना पत्र दिया गया। सुना न्यायहित में केवल आज के लिये स्वीकार।

पत्रावली वास्ते परिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक 14.08.2023 को पेश हो।

(प्रतीक्षा केसरवानी)
सिविल जज / न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पौड़ी गढ़वाल।